इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना

1. उदेश्य

इस योजना के अन्तर्गत वन स्टॉप सेन्टर, स्वाधार गृह, उज्जवला, स्टेप (Support to training and employment programme for women), महिला शक्ति केन्द्र तथा 24*7 महिला हेल्प लाईन 181 समाहित होंगे। इसके तहत भारत सरकार द्वारा संचालित महिलाओं से संबंधित योजनाओं यथा वन स्टॉप सेन्टर, महिला हेल्प लाईन 181, बेटी बचाओ – बेटी पढ़ाओ, पूर्ण शक्ति केन्द्र आदि को तकनीकी सहयोग प्रदान करना है।

2. निधि का संवितरण

इस योजना अन्तर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 60:40 है।

3. देय सुविधाएँ

हिंसा से पीड़ित महिलाओं को चिकित्सीय, विधिक, परामर्शी एवं अस्थायी आश्रय हेतु वन स्टॉप सेन्टर, स्वाधार गृह तथा महिला हिंसा की स्थिति में त्वरित सहयोग करने तथा महिलाओं से संबंधित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 24*7 महिला हेल्प लाईन 181 कार्यरत है। महिला शक्ति केन्द्र के अन्तर्गत कौशल विकास, रोजगार, डिजीटल साक्षरता, स्वास्थ्य एवं पोषण के अवसरों के साथ ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना है। उज्जवला योजना के तहत पीडित/संभावित पीडित महिलाएँ/बच्चों का बचाव एवं पुनर्वास किया जाता है। स्टेप योजना अन्तर्गत महिलाओं को स्वरोजगार हेतु कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जायेगा। स्वाधार गृह योजना अन्तर्गत घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएँ एक वर्ष तक रह सकती है। अन्य श्रेणी की महिलाएँ अधिकतम तीन वर्ष तथा 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला को अधिकतम 5 वर्ष तक रखा जा सकता है, तत्पश्चात इन्हें वृद्धाश्रम या समतुल्य संस्थाओं में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा।

4. पात्रता

इसके अंतर्गत वैसी सभी महिला पात्र होंगी, जो घरेलू हिंसा, मानव पणन, प्राकृतिक आपदा के पश्चात बेघर हुई, जेल से रिहा की गयी महिलाएँ जिनका कोई परिवार न हो, महिलाओं के अवैध व्यापार/वेश्यालयों से छुड़ाई गयी हो या पीडित होने की सम्भावना हो या बच कर भागी हुई बालिका, एच0आई0वी0/एड्स से पीड़ित सामाजिक या आर्थिक सहायता विहीन महिलाएँ तथा किसी प्रकार की हिंसा आदि से पीड़ित एवं प्रताड़ित हो। महिला शक्ति केन्द्र योजनान्तर्गत कोई भी महिला इसके पात्र होगी तथा स्टेप योजना अन्तर्गत 16 वर्ष से अधिक की महिलाएँ पात्र होंगी।

5. प्रक्रिया

कोई भी पीडित महिला स्वयं एवं सेवा प्रदाताओं के माध्यम से वन स्टॉप सेन्टर/स्वाधार गृह/महिला हेल्प लाईन/उत्तर रक्षा गृह तथा अन्य संचालित संस्थाओं में जाकर अपना निबंधन कराकर सेवा का लाभ ले सकती है।

6. उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रक्रिया

विभिन्न संस्थाओं/सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण ईकाई के कार्यालय से प्राप्त व्यय विवरणी सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र महिला विकास निगम को उपलब्ध कराया जाता है। महिला विकास निगम द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय के माध्यम से महालेखाकार को भेजा जाता है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत जिला बाल संरक्षण ईकाई के कार्यालय से प्राप्त व्यय विवरणी सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र समाज कल्याण निदेशालय के माध्यम से महालेखाकार को भेजा जायेगा।

7. अनुश्रवण की प्रक्रिया

जिला स्तर पर जिला परियोजना प्रबंधक/जिला बाल संरक्षण ईकाई/जिला पदाधिकारी द्वारा मासिक समीक्षा बैठकों में सभी योजनाओं की समीक्षा एवं मूल्यांकन की जाती है तथा राज्य स्तर पर आयोजित मासिक/त्रैमासिक एवं वार्षिक समीक्षा बैठकों में महिला विकास निगम/विभाग द्वारा योजनाओं की समीक्षा की जाती है। सभी योजनाओं के लिए समेकित एम0आइ0एस0 प्रणाली के अतिरिक्त थर्ड पार्टी द्वारा समय-समय पर संघात मूल्यांकन तथा निगम के पदाधिकारियों द्वारा समय-समय पर क्षेत्र भ्रमण कर योजनाओं की समीक्षा की जाती है।

8. शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स

अनुमण्डल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है जहाँ इस योजना अंतर्गत विभिन्न योजनाओं से सम्बंधित शिकायत और अपील दायर की जा सकती है। इसके अतिरिक्त इस योजना से संबंधित शिकायत जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी तथा राज्य स्तर पर प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम तथा अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है।